| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज<br><br>**सनवर हुसैन बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर )**<br><br>सू.अ.अ. अपील संख्या 318 / 2022 | नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 01-11-2022 | अपीलार्थी सनवर हुसैन पुत्र मोहम्मद साबिर, निवासी सफी बिल्डिंग के सामने, सूरसागर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 22.07.2022 में (1) सूरसागर जोधपुर दंगा पीड़ित प्रार्थी सनवर हुसैन द्वारा आपके विभाग में दिनांक 03–06– से 19.05.2022 तक परिवाद भेजे गये जिन पर आपके विभाग द्वारा किया गया पत्राचार एवं उन पत्रों पर जबाब व कार्य टिप्पणी, आदेशिकाएं व की गई कार्यवाही से अवगत कराने, से संबंधित सूचना के लिए ,लोक सूचना अधिकारी ( जिला कलक्टर जोधपुर कार्यालय ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।<br><br>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।<br><br>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से जरिये पत्रांक 1640 दिनांक 21.09.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्राथ्रना पत्र में वर्णित सूचना प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा, कार्यालय हाजा से संबंधित होने के कारण प्रार्थी के आवेदन पत्र धारा 5(4) के तहत प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा को कार्यालय पत्रांक 1339 दिनांक 16.08.2022 द्वारा प्रेषित कर 7 दिवस में सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया,, परन्तु सूचना न्यायिक अनुभाग से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नही है। रिपोर्ट में धारा 5(5) के तहत प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश प्रदान करने की प्रार्थना की।<br>चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी / प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पर प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा द्वारा सूचना तैयार कर प्रार्थी को उपलब्ध नहीं करवाई गई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा (लोक सूचना अधिकारी ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी / प्रार्थी द्वारा चाही जा रही सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। | |